बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर – 203001, दूरभाष– (05732) 282437, फैक्स– 280966

पत्रांकः–......121......./वि0प्रा0/09–10 दिनांक :–9/7/2010

भवन निर्माण अनुज्ञा–पत्र

सेवा में,

मैसर्सअंसल हाईटेक टाउनशिप्स लि0 वास्ते
उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएटस (कन्सोर्शियम)
115, अंसल भवन, 16 के0जी0 मार्ग,
नई दिल्ली–110001

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा आराजी/खसरा सं0 271, 279, 280, 281, 281, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 एवं 303 पर प्रस्तुत संशोधित मानचित्र सं0 47/एच0टी0/09 (फेयर वे ग्रुप हाउसिंग) की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाक 18.06.10 को प्रदान कर दी गयी।

अतः आप द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में पूर्व स्वीकृत टावर बी, सी, आई, जे, के, एल एंव डी, ई एफ, एफ–1, एफ–2, जी एवं एच प्रस्तावित टावर की अनुमन्यता प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृत मानचित्र निर्गत किया जाता है।

मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी शर्ते

1. मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक मान्य है। समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।
2. मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सीलिंग/भू–अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, भवन केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि वह किसी सार्वजनिक भूमि या अन्य के स्वामित्व की भूमि की ओर न खुले।
5. निर्माण करते समय निर्माण सामग्री प्रस्तावित भूखण्ड इकठ्ठा करना होगा तथा निर्माण सामग्री से यातायात एवं जल निकासी प्रभावित न हो इसका पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
6. निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तो तथा नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. यदि भविष्य में विकास/सुधार व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
8. लो एवं मध्यम वोल्टेज विद्युत लाइन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर/क्षैतिज क्रमशः 2.50 मी0 एवं 1.20 मी0 और हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम दूरी उर्ध्वाधर/क्षैतिज क्रमशः 3.70 मी0 एवं 2 मी0 होगी।

9. स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय जांच की जा सके।

10. निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।

11. प्रस्तावित भूखण्ड में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा।

12. प्रस्तावित भूखण्ड में सोलर वाटर हीटिंग सयन्त्र की स्थापना करनी होगी।

13. भूखण्ड पर नियमानुसार वृक्ष लगाने होंगे।

14. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानकों का पालन करना होगा।

15. निर्माण के दौरान स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का विचलन, परिवर्तन/परिवर्धन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना होगा।

16. कार्य स्थल पर निर्माण से पूर्व स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई0आई0टी0 के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराकर शपथ–पत्र के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

17. पर्यावरण एवं अन्य शासकीय विभाग/ स्थानीय निकाय द्वारा समय – समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

18. प्रस्तुत शपथ–पत्र का पालन करना होगा तथा उल्लंघन की दशा में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।

इस स्वीकृति पत्र की क्रम संख्या 1 से 18 तक अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक स्वीकृति मानचित्र 2 सैट

कार्यालय मुहर :

कार्यालय क्रमांक0 121

दिनांक 9/7/2010

9/7/10

सचिव

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण

बुलन्दशहर